



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 11, 2017/पौष 21, 1938

No. 84]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 11, 2017/PAUSA 21, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2017

**का.आ. 95(अ)**—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 78 (अ), तारीख 04 फरवरी, 1990 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 0.000 कि.मी. से 334.00 कि.मी. (कानपुर—वाराणसी सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है:

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क के संग्रहण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सा.का. नि. 838 (अ) तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं और उनमें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2011, सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014, सा.का.नि. 02(अ), तारीख 19 दिसम्बर, 2014, सा.का.नि. 220 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015, सा.का.नि. 585 (अ), तारीख 8 जून, 2016 तथा सा.का.नि. 1114 (अ), तारीख 02 दिसम्बर, 2016 द्वारा संशोधन किए गए हैं ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर यथासंशोधित तथा सा.का.नि. 838 (अ) तारीख 5 दिसम्बर, 2008 के द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए तथा का.आ. 287(अ), तारीख 29.01.2013 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व कर ली गई हों अथवा करने में लोप करा दी गई हो, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य में सारा सं. 2 के 94.145 कि.मी. से 158.000 कि.मी. के चार लेन के खण्ड (रामपुर थारीवान-कोखराज सेक्शन) (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) के उपयोग हेतु सड़क की निवल लंबाई 63.855 कि.मी. के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर के 100 प्रतिशत की दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात "आधार दर" संदर्भित किया गया है) शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा सविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को कार्यान्वयन की वास्तविक तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, इनमें जो भी बाद में हो, संग्रहीत करने हेतु प्राधिकृत करती है।

### सारणी-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति यात्रा किलोमीटर शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भ.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उपग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शेष्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
फतेहपुर जिले में कटोघन गांव के पास 120.500 कि.मी. (डिजाइन चैनेज)	63.855	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 प्रतिशत

2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2016-17 के लिए मासिक पास की दर 235.00/- रूपए (दो सौ पैंतीस रूपए मात्र) होगी और इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

3. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा।

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

4. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

5. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसे राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने अथवा टोल प्लाजा पार करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि, ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न लिया जाए। ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन के चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेश कराने के लिए नियमों के अधीन टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों पर लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा।

6. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड़ वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।
7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।
8. ऊपर सारणी 1 में यथा—उल्लिखित आधार वर्ष 2007—08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा खण्ड की पूरी की गई लंबाई के आधार पर की जाएगी तथा उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और तदनुसार उसे अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा के कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।
9. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 300.91 करोड़ रुपए है। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए गए शुल्क की दरों को घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा ।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/206/05—06/सीएमडी—सी.ओ./जी.सी—इलाहाबाद (100 कि.मी.—158.000 कि.मी.)]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2017

**S.O. 95(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O 78 (E) dated 4th February, 1999 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 0.000 to km 334.000 (Kanpur-Varansi Section) of National Highway No. 2 in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October, 2011, G.S.R 778(E) dated 16th December, 2013, G.S.R 26(E) dated 16th January, 2014, G.S.R. 831(E) dated 21st November, 2014, G.S.R. 02(E) dated 19<sup>th</sup> December, 2014, G.S.R. 220 (E) dated 23rd March, 2015, G.S.R. 585(E) dated 8<sup>th</sup> June, 2016 & G.S.R. 1114 (E) dated 2<sup>nd</sup> December, 2016 for collection of fee for the use of sections of national highways, permanent bridge, bypasses, tunnels;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the said “Rules”) and in the suppression of the notification number S.O. 287 (E) dated 29.01.2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the Four-laned stretch from km 94.145 to km 158.000 (Rampur Thariwan-Kokhraj Section) on National Highway No. 2 in the State of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the “said section”), on the Type of Vehicles specified in column (1) at 100% of the rates specified in columns (2) (hereinafter referred to as “base rate”) of Table 1 below for net road length of 63.855 km and authorizes the said Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee on and from the date of actual implementation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later.

TABLE-1

S. No.	Type of Vehicles	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
2.	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
3.	Bus or Truck (Two Axles)	2.20
4.	Three-axle commercial vehicles	2.40
5.	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
6.	Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (Design chainage)	Length (in km) for which fee is payable	Rate at which fee is payable
Km/ch. 120.500 (near Katoghan village in Fatehpur District)	63.855	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the toll plaza is Rs. 235.00 (Rupees Two Hundred Thirty Five only) for the year 2016-17 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

3. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

5. A mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the said Rules, shall not be permitted to use the National Highway for crossing the Toll plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in-charge of such overloaded mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the Toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicles under the said Rules.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

8. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the

basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

9. The revised estimated capital cost of the project is Rupees 300.91 crores. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/206/05-06/CMD-CO/GC-Allahabad (km 100-km 158.000)]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.